कोषाधिकारी, दौसा (राज.)
19 MAY 2014

2716 29/5/14

विश्वकर्मा आदर्श सेवा समिति खॉन भॉकरी तहसील दौसा जिला दौसा जरिये सचिव राधामोहन S/o हरसहाय जागिड जी दौसा

लीज डीड

आज दिनांक 29/05/2014 ईस्वी को यह किरायानाम श्री विश्वकर्मा आदर्श सेवा समिति खॉन भॉकरी तहसील दौसा जिला दौसा जरिये सचिव, राधामोहन जागिंड पुत्र श्री हरसहाय जागिंड जाति जागिंड निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा राजस्थान प्रान्त को उक्त लेख में 'लेसी/किरायादार प्रथमपक्ष' शब्द से सम्बोधित किया गया है।

बहक

श्री हजारी लाल महावर पुत्र श्री रामसहाय महावर जाति कोली निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान प्रान्त को इस लेख पत्र में 'लेसर/सम्पत्ति मालिक द्वितीयपक्ष' शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के समस्त उत्तराधिकारियों, दावभागियो, स्थानापन्नो, एजेन्ट, सवेन्ट, प्रतिनिधि आदि को सम्मिलित समझा जायेगा के मध्य सम्पादित किया गया है।

हजारी लाल

राधामोहन

जो कि द्वितीयपक्ष सम्पत्ति मालिक के स्वामित्व व अधिकार का एक दो मंजिला मकान ग्राम नागल राजावतान मे खसरा नमबर 687, 688 मे स्थित है । जिसकी पैमाईश पूर्वी भुजा 108 फिट, पश्चिमी भुजा 108 फिट, उततरी भुजा 92 फिट 7.5 इंच दक्षिणी भुजा 92 फिट 7.5 इंच जिसका कुल क्षेत्रफल 919.93 वर्गगज जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व मे रास्ता 16 फिट चौडा, पश्चिम मे– रास्ता 13 फिट 9 इंच चौडा, उत्तर मे– भूमि अन्य की, दक्षिण मे– रास्ता 16 फिट व 20 फिट चौडा रास्ता स्थित है जिसमे प्रथम मंजिल मे 5 कमरे व एक हाल व दूसरी मंजिल मे चार कमरे व एक हाल बना हुआ है व सुलभ सुविधाये है ।

यह कि प्रथमपक्ष किरायेदार को महर्षि अंगीरा निजी आई.टी.आई. नांगल राजावतान जिला दौसा को चलाने हेतु उक्त मकान की आवश्यकता थी जिसके लिए प्रथमपक्ष किरायेदार ने द्वितीयपक्ष मकान मालिक से उक्त मकान को किराये पर लेने का प्रस्ताव रखा था जिसको स्वीकार करते हुए द्वितीयपक्ष ने उक्त मकान दो मंजिला निर्माण है को उपर व नीचे की मंजिल सम्पूर्ण निर्माण सहित मुबलिग रूपये 20000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये प्रतिमाह की दर से प्रथमपक्ष श्री विश्वकर्मा आदर्श सेवा समिति खॉन भॉकरी तहसील दौसा जिला दौसा के नाम से उपयोग में ले रहा है।

1 यह कि द्वितीयपक्ष मकान मालिक ने उक्त मकान, को मय निर्माण सहित मुबलिग रूपये 20000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये प्रतिमाह की दर से दिनांक 01/05/2014 से अगले 15 वर्ष तक की अवधि के लिए किराये पर दे दिया है। जिसका अस्थाई कब्जा द्वितीय पक्ष मालिक सम्पत्ति से प्रथमपक्ष किरायेदार को दुरूस्त हालत में सम्भला दिया है।

2 यह कि प्रथमपक्ष किरायेदार को उक्त सम्पत्ति को अपनी IT। चलाने हेतु लिया है जिसमें किरायेदार केवल IT। चलाने हेतु स्वतन्त्र है। इसके अलावा उक्त सम्पत्ति का उपयोग अन्य किसी भी कार्य में बिना द्वितीयपक्ष मकान मालिक के सहमति के नहीं कर सकेगा।

3 यह कि उक्त किराया अवधी दिनांक 01/05/2014 से चालू है तथा प्रथम पक्ष किरायेदार किराया राशी हर माह की 10 तारीख तक द्वितीय पक्ष मकान मालिक को अदा करेगा जिसमें किसी प्रकार की भूल चूक या लापरवाही नहीं करेगा।

4 यह कि प्रथमपक्ष पानी व बिजली का खर्च किराया राशि के अलावा वहन करेगा। विद्युत कनेक्शन पथम पक्ष स्वयं अपनी खर्चे से लेगा ।

5 यह कि किरायेदार प्रथमपक्ष किराये पर दी गई सम्पत्ति के समस्त किरायेदारी हक–हकूक स्वयं के पास ही रखेगा एव किरायेदारी हक हकूक किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

6 यह कि प्रथमपक्ष किरायेदार उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार की तोडफोड, तामीरात, तरमीम आदि नहीं करेगा, और न ही सम्पत्ति में किसी प्रकार की आपत्ति जनक, मादक, विस्फोटक, गैर कानूनी वस्तुऐं रखेगा तथा ना ही पडोसियों व अन्य को किसी प्रकार की तकलीफ या विवाद करेगा।

NOTARY

ATTESTED
NOTARY PUBLIC

7 यह कि निर्धारित किरायावधि के पश्चात किरायेदार स्वतः ही किरायेशुदा सम्पत्ति को खाली कर जैसी स्थिति में सम्भलाया व वैसी ही स्थिति में सम्पत्ति मालिक को कब्जा सम्भला देगा। जिसमें किसी प्रकार की आपत्ति, विवाद या एतराज नहीं करेगा।

8 यह कि किसी भी पक्ष द्वारा इस किरायेनामें का उल्लंघन किया जाता है तो दूसरे पक्ष को अधिकार होगा की वह न्यायालय में दावा–दीवानी कर इस किरायेनामें का पालन करवा लेवे। इसमें दोनों पक्षों व उनके वारिसो, दायभागियों, स्थानापन्नों आदि को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः एवं यह लीज डीड प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने अपनी निजी इच्छा होश–हवास में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के स्टाम्प एक कीमती 100/– रूपये व दो ग्रीन पेपर कुल तीन पर लेख्य कराकर मजमून को भली प्रकार से पढकर, सुनकर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने–अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् के समक्ष कर दिये सो प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे। इति। दिनांक 29 मई, 2014 ईस्वी।

हस्ताक्षर लेसर/सम्पत्ति मालिक

हस्ताक्षर लेसी/किरायेदार प्रथम

Identified by

1 हस्ताक्षर राजेश कुमार मीना

नामः– राजेश कुमार मीना

पिता का नाम श्री [illegible]

उम्र २८ वर्ष जाति मीना

व्यवसाय [illegible]

पता– [illegible]

गवाहान् [illegible]

Identified by

हस्ताक्षर

नामः– [illegible]

पिता का नाम [illegible]

उम्र ३० वर्ष जाति [illegible]

व्यवसाय [illegible]

पता– [illegible]

ATTESTED 29/5/14
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.)